पुस्तकालय

(1)
3003
15/7/09

सत्यमेव जयते

असंशोधित

7 JUL 2009

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग I—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गी०स०प्रे०सं० 308 तिथि 13/7/09

तारांकित प्रश्न सं०-४२६(श्री रामदेव वर्मा,स०वि०स०)

श्री हरिनारायण सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड १. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-२ वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव है । भारत सरकार से इस संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश भी प्राप्त हो गये हैं जिसका अनुपालन किया जा रहा है तथा मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में चरणवद्ध तरीके से उत्क्रमित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को भी जानकारी होगा कि केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री ने कल जो बजट रखा है, उसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया है और इस मद में राशि भी रखी गयी है । हमारे राज्य से भी चयन होना है तो इस हालात में आपने खंड-१ के उत्तर में कहा कि ६ कि०मी० त्रिज्या में एक भी स्कूल, हाईस्कूल नहीं है, यह कठिनाई सही है । क्या आप तय करते वक्त इस स्कूल को प्राथमिकता के आधार पर विचार करेंगे, मेरा केवल इतना ही प्रश्न है ?

श्री हरिनारायण सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से विचार करेंगे । जब नियमानुकूल है कि ५ कि०मी० के डाईमीटर में कोई हाईस्कूल नहीं है तो निश्चित रूप से प्रश्न के आधार पर इसपर विचार होगा ।

तारांकित प्रश्न सं०-४२७(श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह,स०वि०स०)

श्री जीतन राम मांझी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-१ वस्तुस्थिति यह है ।

इस संबंध में उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य महादलित आयोग का गठन किया गया है । जिसके अध्यक्ष डा० के०पी० रमैया नहीं हैं, वे राज्य महादलित आयोग के सचिव हैं ।

खंड-२ राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से भूमिहीन महादलित के परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है, इस संबंध में अन्य आवश्यक कार्रवाई जारी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-४२७ का पूरक

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य के ३८ जिले में महादलित जाति के विभिन्न परिवारों को जमीन खरीदकर देने हेतु कुल राशि कितनी मांगी गई है और मांग की गयी राशि के विरूद्ध कितनी राशि दी गई है ?

श्री जीतन राम मांझी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, उसके सम्मुख समस्त बिहार में ४ हजार एकड़ जमीन की आवश्यकता है ०१ लाख ०५ हजार भूमिहीन परिवार जो बासगीत दृष्टिकोण से भूमिहीन हैं उनके लिए और ०१ लाख ०५ हजार के लिए ऐसे ०३ लाख ०९ हजार ९०० समथींग है, लेकिन हम ४ हजार मानकर चल रहे हैं और इसके लिए जो राशि निर्धारित है और कर्णांकित किया गया है, उसमें ८१५ करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन महादलित परिवार को कबतक जमीन प्राप्त होगी, इसकी समय-सीमा के बारे में मंत्रीजी जानकारी देना चाहेंगे ।

श्री जीतन राम मांझी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल-ही में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी महादलितों को जमीन मिले या महादलित डेभलपमेंट कमीशन के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हो, इसके लिए बहुत चिंतित हैं और इसी के लिए अपने चेयरमेनशीप में उन्होंने बैठक बुलायी थी और सभी जिला के पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया है कि जुलाई माह के अंत-अंत तक यह जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है और उसमें यह बताया गया है कि १०० परिवार जहां रहते हों और ५०० की आबादी हो, उसको एक कलस्तर के रूप में हमलोग डेभलप करेंगे और वहां ही पहले सर्वप्रथम हम जमीन खरीदकर उनके इंदिरा आवास के लिए, सामुदायिक भवन के लिए देंगे और इसके लिए संभवतः जैसा उन्होंने कहा कि १५ अगस्त को जो भाषण करेंगे गांधी मैदान में, उस संबंध में कुछ घोषणायें होगी और तब उसके बाद १६ अगस्त, २००९ को जिस प्रकार से अन्य योजनाओं का विधिवत् आयोजन करके सभी जिला प्रभारी, मंत्रियों को जिला में भेजकर उसका उद्‌घाटन कराया जाता है, जैसे पोशाक योजना, साईकिल योजना का, उसी स्वरूप में इसी तरह के सामुदायिक भवन, इंदिरा आवास या अन्य एसेसरीज देने के लिए महादलितों को उस दिन से १६ अगस्त,२००९ से इसका हमलोग शुभारंभ करेंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, महादलित आयोग के अध्यक्ष जो भी हों, मगर महादलित आयोग का गठन किया गया कि महादलितों की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसका सर्वे कराकर सरकार को रिपोर्ट सुपुर्द किया जायेगा । चूंकि महादलित आयोग का रिपोर्ट सरकार के समक्ष आ गया है और सरकार उसपर विचार कर रही है कार्रवाई के लिए । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि महादलित आयोग का जो रिपोर्ट आया है, क्या सदन के पटल पर रखेंगे या महादलित आयोग का रिपोर्ट सदन के पटल पर रखकर माननीय सदस्यों को वितरित करायेंगे ?

श्री जीतन राम मांझी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहांतक राज्य महादलित आयोग का गठन और उसके कार्यक्रम का सवाल है, यह कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग से नहीं होता है, इसका जो मॉडल डिपार्टमेंट है, वह कार्मिक एवं प्रशासिक सुधार विभाग है । हम माननीय सदस्य के इच्छा के अनुरूप इस बात की चर्चा उस विभाग के पदाधिकारियों से करेंगे, यदि विधिवत् सदन में ले करने लायक बात होगी तो हम उनसे आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-४२७ का पूरक क्रमशः......

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, यह माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर सरकार दे रही है और सरकार एक विभाग से दूसरे विभाग पर नहीं फेंक सकती है, चूंकि आप जवाब दे रहे हैं तो कहिये कि महादलित आयोग की रिपोर्ट इसी सत्र में रखने की कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री जीतन राम मांझी, मंत्री : राज्य महादलित आयोग का एक नहीं दो रूटीन प्रतिवेदन आ चुका है और जैसा आपका आदेश होगा उस आलोक में कार्रवाई करेंगे।

श्री रामदेव वर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आपने कहा है कि १५ अगस्त से विधिवत् रूप से इस योजना को इसी साल चालू किया जायेगा, सदन को ये जानकारी दें कि इस मद में सरकार ने चालू वित्तीय बजट में कितनी राशि कर्णांकित की है।

श्री जीतनराम मांझी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में प्रारंभिक स्टेज में २८८ दशमलव समथिंग का प्रावधान किया गया था, पिछले वर्ष में दो स्पेल में इसका आवंटन १३ करोड़ और ७ करोड़ कुल २० करोड़ का और इस बार जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में ३६ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है इन सब कामों को करने के लिए।

श्री शकुनी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि जब महादलित आयोग ने जो भारत में है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दलित का बंटवारा नहीं किया जा सकता है महादलित और दलित तो फिर यह महादलित कहां से उठता है। दूसरा यह तो हुआ सर ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हजारों जातियों को विभक्त किया है। उसी तरह से दलित और महादलित में बांटना चाहते हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का द्योतक है।

तारांकित प्रश्न संख्या- ४२८

श्री शाहीद अली खां, मंत्री : १- उत्तर स्वीकारात्मक है।

२- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अभियंत्रण महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों के पद की बड़ी संख्या में रिक्ति है, परन्तु तत्कालीन व्यवस्था के तहत इन संस्थानों में पठन-पाठन को सुचारू रूप से रखने के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं आवश्कतानुसार अतिथि व्याख्याताओं से शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है।

३- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। तथ्य यह है कि बी०सी०आइ० भागलपुर में शिक्षकों के विभिन्न कोटि में सृजित स्वीकृत कुल ७७ पदों के विरूद्ध २२ नियमित एवं संविदा के आधार पर नियुक्त २९ शिक्षक कार्यरत हैं। एम०आइ०टी० मुजफ्फरपुर में शिक्षकों के विभिन्न कोटि के सृजित स्वीकृत कुल ११७ पदों के विरूद्ध ४१ नियमित एवं संविदा के आधार पर नियुक्त ३७ शिक्षक कार्यरत हैं। नवस्थापित ४ अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा मोतिहारी, गया, दरभंगा एवं चंडी नालन्दा में प्रत्येक संस्थान में शिक्षकों के विभिन्न कोटि के कुल ६४-६४ पद सृजित हैं, चूंकि इन संस्थानों में वर्तमान में सिर्फ प्रथम वर्ष की पढाई होती है। अतएव इन संस्थानों में सृजित सभी पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता नहीं है।